न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नदबई (भरतपुर) राज0

(पीठासीन अधिकारी– नीरज कुमार मीना, आर.ए.एस)।

दावा नंबर – 52/2012

तारीख निर्णय– 18.10.2018

1. रामसहाय
2. महाराजसिंह पिस0 मूला जाति गूर्जर निवासी नगला पहाडखां तह0 नदबई ।

वादी0

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तह0 नदबई

प्रतिवादी

निर्णय

वादी द्वारा एक दावा अन्तर्गत धारा 88,89,188 रा0का0 अधिनियम पेश कर निवेदन किया है कि आराजी खसरा नंबर 50 रकबा 0.57, 73 रकबा 0.58, 117 रकबा 0.01 व खसरा नंबर 118 रकबा 0.77 कुल कित्ता 4 रकबा 1.93 है0 वाके नगला पहाडखां तहसील नदबई स्थित है । उक्त खसरा नबंरान संवत 2060 भूप्रबंध से पूर्व साविक 39 रकबा 2 बी.5 विश्वा, 59 रकबा 2 बी. 6 वि0 95 मिन रकबा 3 बी0 2 विश्वा से बने हैं तथा इससे पूर्व संवत 2028 से पूर्व खसरा नंबर 37 रकबा 3 बी0 10 विश्वा,55 रकबा 2 बीघा 10 विश्वा ,56 रकबा 1 बी. 11 विश्वा तथा 88 रकबा 4 बीघा 17 विश्वा से बने हैं । संवत 2028 से पूर्व वादीगण के पिता मूला पटटेदार दर्ज रिकार्ड थे तभी से वादीगण के पिता उक्त आराजी पर काश्त करते चले आ रहे थे तथा उनकी मृत्यु के वाद वदीगण आज तक बतौर खातेदार काश्त करते चले आ रहे है । अतः वादीगण उक्त आराजी पर खातेदारी अधिकार प्राप्त करने के अधिकारी हैं । रिकार्ड में गैर खातेदारी के इन्द्राज कलमजन कर खातेदार कायतकार घोषित किया जावे । भू प्रबंध संवत 2028 से पूर्व वादीगण के स्व0 पिता व हैसियत खातेदार टीनेन्ट दर्ज थे । परन्तु भू प्रबंध विभाग ने गैर खातेदारी के इन्द्राज कर दिये जा खिलाफ मौका व कनून है । गैरखातेदारी के इन्द्राज के कारण दिनांक 28.12.11 को पटवारी हल्का ने धमकी दी कि गैरखातेदारी को तब्दील करने का उसे कोई अधिकार नहीं है तथा गैरखातेदारी के कारण उन्हे इस आराजी से कोई लाभ प्राप्त नहीं हो रहे है । अतः वादीगण को देने धमकी दावा लाने का अधिकार पेदा हो गया । अन्त में प्रार्थना की है कि वर्तमान इन्द्राजात को कलमजन कर वादीगण को विवादित आराजी पर खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे तथा प्रतिवादी को जरिये हुक्म इम्तनाई दवामी की डिक्री से पाबंद किया जावे। रिकार्ड में वादीगण ने नकल जमाबंदी संवत 2011, पर्चा लगान ,नामान्तरकरण सं0 49 सं 2028 , नकल

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

मिलान क्षेत्रफल सं0 2060, नकल जमाबंदी हाल संवत 2066–69, नकल जमाबंदी सं0 2041 , मिलान क्षेत्रफल सं. 2028, जमाबंदी सं0 2015 पेंश की है।

हमने विद्वान अभिभाषक वादी की बहस सुनी व पेरोकार सरकार नायब तहसीलदार नदबई को सुना । वादीगण के बकील का कथन है कि हमारे पिता पट्टेदार थे तथा संवत 2028 में ईन्तकाल सं0 49 से इन्ही नंबरो में से खसरा नंबर 22 पर खातेदारी देदी तथा बकाया नंबर ईतकाल में दर्ज होने के बाद भी छोड दिये है नकल ईन्तकाल संलग्न है । मिलान क्षफल संवत 2060 व 2028 के साविक नंबरान से हाल के नंबर मिलान खा रहे है । हाल में बने नंबरान सं0 2066 –69 की जमबादी में वादीगण को गैरखातेदार दर्ज किया हुआ है । हमने पत्रावली का अद्योपान्त अध्ययन किया तथा विद्वान अभिभाषक वादी की बहस पर मन्न किया पैरोकार सरकार ने रिकार्ड पर अंकित तथ्यों को स्वीकार किया । अतः मुताबिक रिकार्ड वादीगण को खातेदारी अधिकार दिया जाना उचित प्रतीत होता है ।

अतः आदेश है कि आराजी खसरा नंबर नंबर 50 रकबा 0.57, 73 रकबा 0.58, 117 रकबा 0.01 व खसरा नंबर 118 रकबा 0.77 कुल किता 4 रकबा 1.93 है0 वाके नगला पहाडखां तहसील नदबई पर वादीगण को व हिस्सा बराबर का गैर खातेदारी के इन्द्राज कलमजन कर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है । पर्चा डिक्री जारी हो ।

निर्णय आज दिनांक 18.10.2018 को खुले इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया । पत्रावली फैसल शुमार होकर वाद तामील/तकमील दाखिल दफ्तर हो ।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official